



Neutral Citation No.- 2026:AHC:56396

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 2082 वर्ष 2026**

श्रीपाल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के वकील : बृजेश कुमार

विपक्षी के वकील : आर.पी.एस. चौहान, जी.ए.

**न्यायालय संख्या - 67**

**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.पी.एस. चौहान और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री शत्रुघ्न यादव को सुना।
2. तत्काल जमानत आवेदन केस अपराध संख्या 219/2025, धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 351(2), 131, 109, 110 बी.एन.एस., थाना फैजगंज बेहटा, जिला बदायूं के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सामान्य और सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर, आवेदक को 41 अन्य लोगों के साथ इस मामले में आरोपी बनाया गया है। यहाँ तक कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त वीरेश और अतुल को भी क्रिमिनल मिसलेनियस जमानत आवेदन संख्या 44766 वर्ष 2025 और 41953 वर्ष 2025 में क्रमशः दिनांक 08.01.2026 को पारित अलग-अलग आदेशों द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन इस जमानत आवेदन में उसके आपराधिक इतिहास को स्पष्ट कर दिया गया है।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक 03.10.2025 से जेल में है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक और अन्य लोगों द्वारा किए गए हमले के कारण सात लोगों को चोटें आईं, लेकिन वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि सामान्य और सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर सभी को इस मामले में आरोपी बनाया गया है और समान स्थिति वाले दो सह-अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
8. हालाँकि, आरोप के अनुसार, आवेदक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हमला किया जिससे सात व्यक्तियों को चोटें आईं, लेकिन यह दर्शाता है कि प्राथमिकी में आवेदक सहित 41 व्यक्ति नामजद हैं और कई नामजद नहीं थे, और सामान्य और सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर आवेदक को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
9. इसके अलावा, सह-अभियुक्त वीरेश और अतुल को भी इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और जहाँ तक आरोपों का संबंध है, आवेदक का मामला उनके समान ही है।
10. इसके अलावा, आवेदक का दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है लेकिन उसके आपराधिक इतिहास को पूरक शपथ पत्र में स्पष्ट किया गया है और वर्तमान मामले में, वह 03.10.2025 से जेल में है, यानी पिछले पांच महीनों से अधिक समय से।
11. इसलिए, ऊपर चर्चा की गई मामले की परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार करते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
12. तदनुसार, मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**
13. आवेदक **श्रीपाल** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:
  - (i) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथियों पर उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न मिल जाए।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।
- (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
14. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।
15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**17 मार्च, 2026**

**(समीर जैन, न्यायमूर्ति)**

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।